

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)



क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/माद/2014

जयपुर, दिनांक : 14 AUG 2019

जिला कलक्टर एवं
जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस,
समस्त राजस्थान।

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्रामोत्थान शिविर (15 अगस्त, 2019 से 2 अक्टूबर, 2019) के दौरान कराये जाने वाले कार्यों के संबंध में।

संदर्भ:- विभागीय पत्रांक 00470 दिनांक 07.08.2019 एवं पत्रांक वार्षिक कार्य योजना-2020-21 दिनांक 13.08.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत ग्रामोत्थान शिविर प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आयोजित किया जा रहा है। शिविर के दौरान निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही कराई जावे :-

- जॉब कार्ड नवीनीकरण एवं अपडेशन
- 7 रजिस्ट्रों का संधारण एवं नियमित रूप से अपडेशन
- प्रत्येक कार्य स्थल पर नागरिक सूचना बोर्ड की उपलब्धता
- कार्य पत्रावली का पूर्ण रूपेण संधारण
- समयबद्ध भुगतान (टी +8) सुनिश्चित करना
- प्राप्त शिकायतों का निस्तारण
- प्रपत्र-6 की उपलब्धता एवं कार्य मांग करने वाले परिवारों को दिनांकित रसीद देना
- श्रमिकों को प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन पेंशन योजना से जोड़ना (संदर्भित विभागीय पत्रांक दिनांक 07.08.2019)
- श्रमिक जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से 90 दिवस का कार्य किया है, उन्हें श्रमिक कार्ड बनवाने हेतु प्रेरित करना (संदर्भित विभागीय पत्रांक दिनांक 07.08.2019)
- वार्षिक कार्य योजना 2020-21 (संदर्भित विभागीय पत्रांक दिनांक 13.08.2019)

उक्त बिन्दुओं के संबंध में ग्राम पंचायत स्तर पर व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे एवं श्रमिकों को नरेगा योजनान्तर्गत कार्य करने पर अन्य योजनाओं से मिलने वाले लाभ के बारे में भी अवगत करवाया जावे।

उक्तानुसार कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

भवदीय
(पी.सी. किशन) 14/08/2019
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रा.वि. एवं प.रा.वि., जयपुर।
- 2 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, जयपुर।
- 3 अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महात्मा गांधी नरेगा जिला परिषद समस्त राजस्थान।
- 4 रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस